नि० – 483 – I – 16

प्रकरण कमांक /2015–2016/ रिवीजन

कन्छेदी कुशवाह पुत्र मनीराम कुशवाह, उम्र–46 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम सिरसा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0, हाल निवासी– मकान नं. 61, जोशियाना, तहसील जालौन जिला जालौन उ.प्र. ....आवेदक

दिनांक 2.2.16 को श्री मुकेश कुमार कोहरे अभि० द्वारा प्रस्तुत।
2-2-16

बनाम

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

Commissioner of Oaths for High Court Bench Gwalior ★
Smt. Manjula Tripathi
Oaths Commissioner
Gwalior (M.P.)
551

रिवजीन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र. 82/15–16/अपील कन्छेदी कुशवाह बनाम म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध रिवजीन ।

5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5

आवेदक ने आदेश दिनाक 25.01.2016 के विरूद्ध यह प्रथम रिवीजन प्रस्तुत की है इससे पहले आवेदक ने आदेश दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत नहीं की है न हीं खारिज हुई न हीं विचाराधीन है आवेदक की यह प्रथम रिवीजन है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 483-I/2016 जिला-अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.16	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरीक्षण आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.2016 से परिवेदित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत् पेश की गयी है। आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अहस्तांतरणीय शब्द हटाये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है। 2- उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा आवेदक की और से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया इस प्रकरण में यह निंविवादित है, कि ग्राम अथाईखेड़ा प.ह.न. 8 रा.नि. अथाईखेडा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर स्थित भूमि खसरा नं. 259/1, 361,713,773,929 कुल रकवा 4.181 है0 में दर्ज राजस्व कागजातों में अहस्तांतरणीय शब्द को पृथक किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किये जाने पर प्रारंभ किया गया है। प्रकरण में कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा	

आदेश इस आधार पर पारित किया गया है, कि नायब तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/बी/121/2014-15 में प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.03.2015 से सहमत होते हुये आवेदक कन्छेदी पुत्र मनीराम कुशवाह द्वारा प्रस्तुत अहस्तान्तरणीय विलोपित किये जाने का आवेदन अधिकारिता रहित और औचित्य पूर्ण न होने से निरस्त किया है। जब कि प्रकरण में नायब तहसीलदार मुंगावली द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ सम्बत् 2034 सन् 1977-78 में दस्यू मनीराम पुत्र मंगल सिंह को शासकीय पट्टा विशेष अभियान के तहत् दिया गया था। मनीराम के फौत हो जाने के पश्चात् मृतक के वारिसाना नामान्तरण कन्छेदीलाल नाबालिग रामजीलाल पुत्रगण मनीराम हिस्सा 5/6 फुला देवी, ब्रहम देवी पुत्रियॉ मनीराम हिस्सा 1/6 नाबालिग सरपरस्त भाई कन्छेदी पुत्र मनीराम का नाम रिकार्ड पर दर्ज है। ऐसी स्थिति में अभिलेख अवलोकन करने से उपरोक्त भूमि आवेदक के भूमि स्वामी हक की प्रतीत होती है, क्योंकि आवेदक को सन् 1978 मे म.प्र. शासन द्वारा पट्टा दिया गया था आवेदक का पिता मनीराम आत्म समर्पित डाकू था इसलिये पट्टा दिया गया था आवेदक के पिता मनीराम ने पट्टे की सभी शर्तो का पालन किया है इसलिये म.प्र. शासन ने वर्ष 1988-89 में भूमि स्वामी बना दिया गया है। आवेदक 26 वर्षो तक उक्त सर्वे नं. की भूमियों का भूमि स्वामी है, और आवेदक को भूमि स्वामी अधिकार संशोधन अधिनियम 17 सन् 1992 के पूर्व प्राप्त हो गये है म. प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 28.10.1992 के स्थान पर म.प्र. अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1999 के द्वारा

अंतस्थापित किया गया है। जिसमें यह लिखा है कि राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रांरभ पर या उसके पूर्व मजूंर किये गये किसे पट्टे के आधार पर भूमि स्वामी अधिकारो ने भूमि धारण किये हुये है। ऐसे प्रांरभ की तारीख से या जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है। ऐसे आवंटन की तारीख से ऐसे भूमि के संबंध में भूमि स्वामी समझा जायेगा उन समस्त अधिकारो व दायित्वों के अध्यधीन होगा। इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत और उसपर अधिरोपित किये गये है। परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कलावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा। आवेदक को पट्टा वर्ष 1978 में दिया गया था जबकि 10 वर्ष के पूर्व भूमि विक्रय करने का जो समय दिया गया है। वह आवेदक की भूमि पर लागू नहीं होता क्योंकि 10 वर्ष वाली बात उन पट्टा धारको पर लागू होती है जिन्हे पट्टा 1992 के प्रारंभ में या पश्चात् दिया गया है। म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्व म.प्र. राज्य में निर्णय दिया है कि धारा 165 (7ख) की व्याप्ति पट्टेदार को पट्टा तथा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये। कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण धारा 165 (7-ख) के अधीन पट्टा रद्द नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पट्टाधारी को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् बिना अनुमति के भूमि का अंतरण प्राप्त है। ऐसी

स्थिति में कलेक्टर न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है जहॉ तक आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश का प्रश्न है तो उन्होने अपने स्वतंत्र निष्कर्ष दिये बिना ही आवेदक की अपील को अमान्य किया है। जबकि न्यायालय को सकारण आदेश पारित करना चाहिये था ऐसी स्थिति में आयुक्त न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.2016 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते है, एवं तहसीलदार को यह निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम के सामने अंकित अहस्तांतरणीय शब्द (राजस्व अभिलेखो) खसरे आदि से विलोपित किया जाये ओर तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

उभय पक्ष सूचित हो।

सदस्य